30-7-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश की गई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पेशकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा उपस्थित। उभय पक्षों को सुना गया। जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 मौजे ग्राम पायगा खाता संख्या 132 में गीलाराम, खाता संख्या 139 में गिरराज, खाता संख्या 166 में गिलाराम, खाता संख्या 140 में गिलाराम दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खाद्य प्रति परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र सरपंच ग्राम पंचायत पायगा में प्रार्थी का नाम जल्लाराज माली पुत्र माधो माली अंकित है। पेशकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा ने भी अपने जवाब में अंकित किया है कि विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने लिपिकीय भूल से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी का सही नाम जल्लाराज है। राजस्व रिकार्ड में अंकित गलत नामों को शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः राजस्व लोक अदालत की भावना के मध्य नजर रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम पायगा तहसील उनियारा खाता संख्या 132 में गीलाराम के स्थान पर जल्लाराज, खाता संख्या 139 में गिरराज

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

के स्थान पर जल्लाराज, खाता संख्या [illegible] नज
गिलाराम के स्थान पर जल्लाराज, खाता संख्या 166 के
150 में गिलाराम के स्थान पर जल्लाराज
अंकित कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करें
पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम
हो तथा दफ्तर दाखिल हो

(signature)

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner